न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 81/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
पप्पूदेवी पुत्री स्व. मेघाराम पत्नी विष्णु जाति मेघवाल हाल निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा		1भंवरलाल 2मांगीलाल पुत्रान नारायणराम जातियान मेघवाल हाल निवासी गडरिया तहसील जायल। 3श्रवणराम पुत्र स्व. मेघाराम जाति मेघवाल निवासी गडरिया। 4संतोष पुत्री स्व. मेघाराम पत्नी लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा। 5पतासी पत्नी स्व. मेघाराम हाल पत्नी देवकरण जाति मेघवाल निवासी पालडीजोधा तहसील मुण्डवा। 6तहसीलदार जायल। 7उप पंजीयक, जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री हरीराम खारडिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नथूराम मेघवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा ग्राम गडरिया के नामान्तरकरण सं. 192 निर्णय दिनांक 04.01.2002 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.11.2017 मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम गडरिया के नामान्तरकरण सं. 192 दिनांक 04.01.02 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, व 7 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 की ओर से श्री नथूराम मेघवाल अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

{2}(I)–वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 ने पटवारी वगैरा से मिलावट करके अपीलांट व उसके भाई बहिन के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात करते हुए बाले बाले राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवा लिया व अपीलांट को बदेखल करने पर आमादा हुए तब अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी करवा कर तुरंत अपने विधिक अधिकारो की रक्षार्थ सक्षम न्यायालय मे घोषणा खातेदारी, बंटवाडा, स्थायी निषेधाज्ञा आदि के लिये हाल ही मे दावा पेश किया है पर चूंकि उक्त म्यूटेशन भी विधि विरूद्व भरा गया है जिसको अपील के जरिये चुनोती देकर निरस्त करवाना आवश्यक होने व कानूनी सलाह मिलने पर अपीलांट ने म्यूटेशन की नकल का आवेदन पेश किया व दिनांक 10.10.17 को प्रमाणित प्रति म्यूटेशन की मिलने पर उसको पढाने पर उसके बारे मे पूरी जानकारी हुई व अपील की राय मिलने पर दिनांक 12.10.17 को अपील तैयार कर दिनांक 13.10.17 को रिश्तेदारो के साथ नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवायी। तत्पश्चात दिनांक 14.10.17 को शनिवार व दिनांक 15.10.17 को रविवार का अवकाश होने से अपील दिनांक 16.10.17 को पेश की गई। जो प्रमाणित प्रति मिलने से अंदर मियाद है। जिसे अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपील 15 साल पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी के लिये प्रत्येक दिन का कारण बताना होता है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है।

{2}(II)–अपीलांट की ओर से नायब तहसीलदार, उप तहसील डेह तहसील जायल जिला नागौर द्वारा स्वीकृत उक्त कथित गलत नामान्तरकरण के विरूद्व यह अपील दिसंबर 2017 मे न्यायालय हाजा मे ठोस आधारो पर पेश की हुई विचाराधीन रहती चली आई है। अपीलांट के पिता मेघाराम का देहान्त हो चुका है। अपीलांट स्व. मेघाराम पुत्र स्व. नारायणराम की जायन्दा पुत्री व उतराधिकारी हुई, रही व है अपीलांट के पिता

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

के देहान्त के बाद अपीलांट की माता पतासी नाते जरूर गयी है। मगर अपीलांट स्व. नारायणराम की पोत्री व स्व. मेघराम की पुत्री होने से जरिये उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू विधिनुसार उतराधिकारी होने से हस्तगत भूमि की कानूनन हकदार होने से विधिनुसार म्यूटेशन अपील पेश की है तथा अपीलांट व उसके भाई बहिन मौके पर काबिज है तथा जन्म से ही पुश्तेनी हिन्दू परिवार की सम्पति के कानूनन हकदार खातेदार, काबिज काश्तकार हुऐ, रहे व है जिनको उनके विधिक हक हिस्से से वंचित नही किया जा सकता है तथा उनकी माता अन्यत्र नाते चले जाने के कारण उनका पुश्तेनी हिन्दू परिवार से न तो संबंध समाप्त हुए है न ही पुश्तेनी सम्पति मे निहित हक अधिकार समाप्त हुए है। नाते जाने वाली सदस्य की हद तक उसके हक अधिकार जरूर समाप्त हो सकते है। संतान जो शुरू से लगातार मौके पर काबिज है। उनके विधिक अधिकार समाप्त नही हो सकते है तथा ऐसी ही कानून की मंशा है।

{2}(III)–अपीलांट व रेस्पोडेन्टस सं. 3 व 4 सगे भाई बहिन है। जो स्व. मेघाराम पुत्र नारायणराम की संतान है तथा रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 अपीलांट के पिता स्व. मेघाराम के सगे भाई है व रेस्पोडेन्ट सं. 5 स्व. मेघाराम की पत्नी जो नाते चली गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस सं. 1 से 4 स्व. नारायणराम के वारिस उतराधिकारी है।

{2}(IV)–पक्षकारान अपीलांट व रेस्पोडेन्टस सं. 1 से 4 की पुश्तेनी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 54 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 36 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद मौजा नोसरिया तहसील जायल व खसरा नं. 182 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा गडरिया तहसील जायल मे स्थित रहती चली आयी है, उपरोक्त भूमियो मे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का विधिनुसार हक हिस्सा निहित करता है। क्योकि अपीलांट स्व. नारायणराम की पोत्री है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 स्व. नारायणराम के पुत्रगण व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 भी स्व. नारायणराम के पोत्र व पोत्री है अर्थात अपीलांट के दादा स्व. नारायणराम के तीन पुत्रगण भंवरलाल, मांगीलाल व स्व. मेघाराम हुए जिनमे मेघाराम का देहान्त हो चुका है और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 स्व. मेघाराम की जायंदा संताने है, स्व. मेघाराम की पत्नी पतासी मेघाराम के स्वर्गवास के कुछ समय बाद नाते चली गई जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 5 व स्व. नारायणराम के उतराधिकारी नही रही, लेकिन अपील के न्यायपूर्ण निर्णय व वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिये पतासी को भी परफोरमा पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाकर अपील पेश की गई। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी मे नारायणराम व उनकी पत्नी के देहान्त के पश्चात उनके तीनो पुत्रो का बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा निहित करता था व मेघाराम के 1/3 हिस्से के हकदार मेघाराम की जायंदा संताने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 हुए, रहे व है। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस सं. 3 व 4 स्व. मेघाराम पुत्र नारायणराम की संताने होने व विवादित आराजी पुश्तेनी भूमि होना स्वीकारसुदा व साबित तथ्य है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा अन्य विधिक प्रावधानो अनुसार हिन्दू परिवार मे जन्म लेने वाले प्रत्येक सदस्य का अविभाजित पुश्तेनी भूमि मे कानूनन हक हिस्सा निहित हो जाता है। चाहे खातेदारी मे उसका नाम दर्ज हो या नही हो विधिनुसार खातेदार होता है। इस प्रकार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 विवादित आराजी के सहखातेदार व सहकाश्तकार है तथा भूमियां अविभाजित है। चूंकि पक्षकारान के मध्य विधिवत भौतिक विभाजन नही हो रखा है, आपसी सुविधा व मौखिक बंटवाडा अनुसार काबिज रहकर काश्त करसण करते आ रहे है। चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के पिता के स्वर्गवास के कुछ सालो बाद अपीलांट की माता नाते चली गई और अपीलांट व रेस्पोडेन्टस सं. 3 व 4 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ उक्त आराजी पर काबिज रहकर जीवन बसर करते रहे है तथा उनके पिता का देहान्त हो जाने व माता नाते चली जाने व पक्षकारान ग्रामीण परिवेश के होने से राजस्व रेकर्ड की ओर अपीलांट व उसके भाई बहिन का कभी ध्यान नही गया न रेकर्ड के बारे मे जानकारी रखते थे तथा इनकी इस दयनीय स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 ने पटवारी वगैरा से मिलावट करके अपीलांट व उसके भाई बहिन के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात करते हुए बाले बाले राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवा लिया व अपने भाई स्व. मेघाराम की संतानो का नाम दर्ज नही होने दिया और इस तथ्य व कथित म्यूटेशन को छुपाये रखा तथा उनके मन मे शुरू से ही संपूर्ण आराजी हडपने व अपीलांट व उसके भाई बहिन को बेदखल करने की धमकिया दी व यह बताया कि तुम्हारे पिता के देहान्त के बाद पूरी जमीन हमने हमारे नाम करवा ली है इसलिये इसको आगे बेचान करने व लाठी के बल पर अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हुए तब अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी करवा कर तुरंत अपने विधिक अधिकारो की रक्षार्थ

न्यायालय अपर कलक्टर नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

सक्षम न्यायालय मे घोषणा खातेदारी, बंटवाडा, स्थायी निषेधाज्ञा आदि के लिये दावा पेश किया है। पर चूंकि उक्त म्यूटेशन भी विधि विरूद्व भरा गया है। नायब तहसीलदार डेह व पटवारी कमेडिया ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना मौके की जांच किये हस्तगत विवादित म्यूटेशन भरने व स्वीकृत किया है तथा विधि विरूद्व म्यूटेशन के विरूद्व जानकारी होने पर कभी भी अपील की जा सकती है। उसमे समय सीमा की कोई पाबंदी भी कानूनन नही होती है और हस्तगत नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना स्वीकृत किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–खसरा नं. 182 मौजा गडरिया की भूमि प्रथमतः स्व. नारायणराम पुत्र खेराजराम के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी। जिनके स्वर्गवास के पश्चात बतौर उतराधिकार व उक्त भूमि अपीलांट के पिता स्व. मेघाराम व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को प्राप्त हुई, जिनका इस भूमि पर शुरू से ही यानि स्व. नारायणराम के जीवनकाल मे व उनके पश्चात बतौर सहकाश्तकार कब्जा काश्त रहा तथा स्व. नारायणराम के स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के पिता स्व. मेघाराम खसरा नं. 182 की भूमि के 1/3 को–पार्सनर खातेदार काश्तकार हुए व रहे, प्रस्तुत प्रकरण मे नामान्तरकरण सं. 92 मे निरीक्षक भू.अ. डेह ने गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से बगैर किसी साक्ष्य के तथा बगैर रेकर्ड व उतराधिकारियो बाबत भौतिक सत्यापन व उचित रीति व मापदण्डो से जांच के ही यह अंकित कर दिया कि "जमाबंदी से जांच की, अंकन सही है।" तथा पटवारी कमेडिया का यह अंकित करना कि नारायणराम के फौत हो जाने पर उतराधिकार का नामान्तरकरण खोला जाकर जांच व निर्णय हेतु पेश है। किन्तु वास्तव मे धरातलीय स्तर पर कोई जांच की ही नही गई, जिससे स्पष्टतः प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि नामान्तरकरण सं. 92 मिलावटी पूर्ण तरीके से बिना उचित प्रक्रिया अपनाये, पारदर्शिता के अभाव मे साक्ष्य लिये बिना विधि विरूद्व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत किया है। वास्तव मे खसरा नं. 182 की भूमि स्व. नारायणराम वल्द खेराज के खातेदारी की थी, उससे पूर्व अपीलांट के पूर्वज खेराज पुत्र हरू के नाम खातेदारी रही, जिन्हे उक्त भूमि जागीरदार बहादुरसिंह से वक्त सेटलमेंट संवत 2006 मे प्राप्त हुई, कालान्तर मे आज से करीब 28–30 वर्ष पूर्व अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात अपीलांट की दादी दम्मीदेवी को रेस्पोडेन्टस ने अपने अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर उपरोक्त सहकब्जे काश्त व खातेदारी की अचल सम्पति को अपने अकेले के नाम दर्ज करवाने व अपीलांट व उसकी बहिन व भाई को उनके हिस्से से वंचित करने हेतु राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर नामान्तरकरण की पौशिदा कार्यवाही की गई जो अपीलांट के हित, हक व अधिकारो के प्रति शून्य था व है। अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलांट की माता पतासी ने दूसरा विवाह (नाता) देवकरण निवासी पालडीजोधा के साथ कर लिया था। जिससे वह स्व. मेघाराम की अचल सम्पति पर न तो काबिज रही न उसका हक हिस्सा है। उस समय अपीलांट व उसकी बहिन व भाई नाबालिग थे, जिनके हितो का किसी ने ध्यान नही रखा मगर उक्त पुश्तेनी भूमि मे उनका जन्म से विधिनुसार हक हिस्सा निहित करता है। मौके पर लगातार उनका कब्जा हक अधिकार निरंतर रहता चला आया है व उनकी आजीविका के साधन उक्त सम्पति से उनको ऐसे नुमाईशी व विधि विरूद्व म्यूटेशन के आधार पर अपीलांट व उसकी बहिन व भाई के विधिक अधिकार समाप्त होते है न रेस्पोडेन्टस को कोई अधिकार प्राप्त होते है। म्यूटेशन जैर अपील शुरू से ही अवैध व शून्य होने से अपीलांट के अधिकारो के प्रति बातिल व बेअसर था व है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। क्योकि यह स्पष्ट है कि अपीलांट स्व. नारायणराम की पोत्री है व विवादित आराजी पुश्तेनी है। इसलिये वंशावली मे दर्ज अनुसार पक्षकारो का बराबर हक हिस्सा निहित करता था व है। जिससे म्यूटेशन जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है।

{2}(VI)–ग्राम गडरिया मे भी स्व. नारायणराम की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 54, 35 बीघा मौजा नोसरिया स्थिति रहती चली आई है। जिसका भी उपरोक्त प्रकार से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने मिलावटी पूर्ण तरीके से विधि विरूद्व अनुचित व अवैध प्रकार से राजस्व कर्मचारियो की मिलीभगती से नामान्तरकरण सं. 174 दर्ज करवा लिया। उसके पश्चात उक्त भूमि खसरा नं. 36 व 54 मौजा नोसरिया व खसरा नं. 182 मौजा गडरिया से अपीलांट व उसके भाई बहिन को बेदखल करने के लिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 धमकियां देने लग गये है व कहते है कि उक्त भूमि हमारे नाम है। तुम्हारा रेकर्ड मे नाम दर्ज नही होने दिया है। इसलिये पूरी जमीन हम बेचेगे। तब अपीलांट ने म्यूटेशन आदि की नकले प्राप्त करने पर पूरे षडयंत्र व फर्जीवाडे व धोखाधडी की जानकारी हुई। ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व है। हस्तगत म्यूटेशन भरते समय न तो पटवारी ने कब्जे के संबंध मे मौके की जांच की न उतराधिकार की सत्यता व उतराधिकारियो के

न्यायालय अपर कलेक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

वास्तविक स्वरूप की जांच की। केवल मात्र कार्यालय मे बैठे बैठे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 से मिलावट करके उनके अनुचित दबाव व प्रभाव मे आकर विधि विरूद्व म्यूटेशन भरा व स्वीकृत करवाया है। म्यूटेशन से पूर्व सभी उतराधिकारियो की जांच कर न तो नोटिस दिया न ही म्यूटेशन हेतु बनी विधिक प्रक्रिया की पालना की गई है। सरसरी तौर पर ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को नाजायज फायदा पहुचाने के लिये भरा व स्वीकृत किया। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील प्रशासन गांवों के संग के तहत मजमे आम मे जांच की जाकर स्व. नारायणराम खातेदार के वारिसान पुत्र भंवरलाल, मांगीलाल व पत्नी दम्मी देवी के नाम नामान्तरकरण भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम गडरिया में स्थित भूमि खसरा नं. 182 रकबा 13.06 बीघा के खातेदार फौत होने पर उसके वारिसान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 192 दिनांक 04.01.2002 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 15 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहा हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है तथा वर्ष 2017 में इसी भूमि को लेकर सक्षम न्यायालय मे घोषणा खातेदारी का दावा पेश किये जाने पर नामान्तरकरण जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई हो, कथन विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। मृतक खातेदार नारायणराम के वारिसान अपीलांट हो, ऐसी कोई वंशावली / दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किये गये है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है। इससे स्वतः अधिकारो को सृजन नही होता है। यदि अपीलांट का आराजी भूमि हेतु कोई हक / स्वत्व बनता हो तो उसे नियमित न्यायालय मे अनुतोष हेतु कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर